

राजस्थान सरकार

कार्यालय सभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त, क्षेत्रीय विकास, बीकानेर।

क्रमांक : प.17(3955) आक्षेपि/रेगु/2018/ 1477-80

दिनांक : 09 अगस्त. 2018

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.। 8890234807	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर 9799776677
--	---	---	---

विषय : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दि. 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दि. 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक चार में से एक समूह पानी चलाये जाने के लिए समूहों का विवरण एवं चकीय कार्यक्रम।

प्रसंग : मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ का पत्रांक : एफ.4/रेगु/14-बी/ 205 दिनांक 07.08. 2018 एवं पत्रांक 212 दिनांक 9.8.18

महोदय,


- मुख्य अभियन्ता जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के प्रासांगिक पत्र द्वारा प्रस्तुत चकीय कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत इंगानप की नहरों को दि. 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दि. 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक चार में से एक समूह तक सिंचाई हेतु चलाये जाने के प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता, इंगानप, बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियन्ता इंगानप, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर इंगानप की नहरों को खरीफ फसल 2018 के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का एतद द्वारा अनुमोदन किया जाता है। काश्तकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे उपलब्ध कराये जा रहे सिंचाई पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कम पानी उपयोग वाली फसलों को प्राथमिकता प्रदान कर यथेष्ट रकबे में ही सिंचाई करें।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता का विवरण परिशिष्ट "अ" (1/5) एवं समूह का विवरण परिशिष्ट "अ" (2/5 से 5/5) तथा समूहों की वरियता एवं चकीय कार्यक्रम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। अनुमोदित चकीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जावेगा।
- इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा इनसे निकलने वाली समस्त नहरों के हैड रेगुलेटर्स पर निर्धारित मात्रानुसार पानी उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता एवं रेगुलेशन इंगानप, बीकानेर का होगा।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर संभाग में बुर्जी 1254 मुख्य नहर के नीचे खरीफ 2017 में पूर्व में चल रही प्रभावी गोल बारी प्रणाली, द्वितीय चरण के रेगुलेशन हेतु जल परामर्शदात्री बैठक दि. 3.5.17 की अनुशंसा के आधार पर प्रभावी रहेगी। इस हेतु सिंचाई जल के बेहतर उपयोग किये जाने के कम में नहरों का आंतरिक रोटेशन जिला कलेक्टर से परामर्श कर परिवर्तित करने का अधिकार अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर का होगा।
- जारी चकीय कार्यक्रम में संबंधित नहर के समक्ष अंकित अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जिला कलेक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की क्रियान्विति के लिए, प्रत्येक समय अपने मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि काश्तकारों को नहर में पानी वितरण के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। अधिशाषी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश क्रमांक प.9()संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता का होगा।
- संबंधित मुख्य अभियन्ता, जल वितरण से संबंधित अधिकारी, जल उपयोक्ता संगम, कृषि विभाग के अधिकारी एवं जन संपर्क अधिकारी इस चकीय कार्यक्रम का जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवाने के साथ-साथ कम पानी खपत वाली फसलें उगाने के लिए काश्तकारों को जानकारी देंगे।
- सिंचाई जल वितरण हेतु धरना, प्रदर्शन की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होने पर संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जिला कलेक्टर को दूरभाष पर अवगत करवाते हुए अपने सक्षम अधिकारी के साथ मौके पर पहुंच कर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों (यथा उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि) एवं पुलिस अधिकारियों (यथा वृताधिकारी/ थानाधिकारी पुलिस) के साथ काश्तकारों से सीधा संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- आगामी चकीय कार्यक्रम समय पर जारी करने के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की समीक्षा की जाकर नहरों में पानी चलाये जाने के चकीय कार्यक्रम के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अतिरिक्त आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेषाधिकारी(एस)मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज. जयपुर
3. निजी सहायक, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, जयपुर
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर/जोधपुर।
6. जिला कलक्टर, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर/नागौर /बाड़मेर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर /नागौर /बाड़मेर
8. मुख्य अभियन्ता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
9. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना-1, जन स्वा. अभि. विभाग, चुरू
10. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बीकानेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, चुरू।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत्त, नागौर।
13. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत्त, बाड़मेर।
14. उपखण्डअधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूणकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/
अनूपगढ़/भादरा/चुरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घड़साना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/ नोहर/ पीलीबंगा/रावतसर
/सरदारशहर/तारानगर/फलौदी/जैसलमेर/पोकरण।
15. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
16. उप निदेशक, कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
17. उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
18. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चुरू/जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
19. नोडल अधिकारी, सीएडी वेबसाईट, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त चक्रीय कार्यक्रम को सीएडी की वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ उक्त अधिकारियों को ई-मेल करना सुनिश्चित करें।
20. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।


अतिरिक्त आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

फसल खरीफ 2018 के दौरान दिनांक 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दिनांक 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज-प्रथम व द्वितीय की नहरों को 4 में से 1 समूहों में चलाये जाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण, एवं चक्रीय कार्यक्रम :

(सभी मात्राएं क्यू. में)
अनिवार्य आवश्यकता

(क)	हरिके हैड से इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 243 तक	
1	हरिके हैड से बिरधवाल हैड तक पानी के लॉसेज	530
2	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
3	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
4(i)	कंवरसैन जलोत्थान नहर	148
4(ii)	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	2
5	साहवा जलोत्थान नहर	113.84
		योग-क
		923.84
(ख)	इ.गा.मु.नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	
1	बिरधवाल हैड से आर.डी. 620 तक पानी के लॉसेज	200
		योग-ख
		200
(ग)	इ.गा.मु.न. की आर.डी. 620 से 1254 तक	
1	इगानप की आरडी 620 से आर.डी. 1254 तक पानी के लॉसेज	255
2	पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से	76
3	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
4	नागौर लिफ्ट के लिए पीने का पानी	70
5	मैसर्स वी.एस. लिग्नाईट पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. गुढा	5
6	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट	240
7	सोलर पॉवर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीज एनर्जी लिमिटेड	1.60
8	पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना	30
		योग-ग
		702.60
(घ)	इ.गा.मु.नहर की आर.डी. 1254 के नीचे	
1	इगामुन की बुर्जी 1254 के नीचे लॉसेज	115
2	पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए	70
3	पीने का पानी जैसलमेर शहर	30
4	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
5	गिराल परियोजना हेतु	24
6	राजवेस्ट परियोजना हेतु	40
7	बाडमेर लिफ्ट परियोजना हेतु	50
		योग-घ
		354
		योग क+ख+ग+घ
		2180.44

फसल खरीफ 2018 के दौरान दिनांक 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दिनांक 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज-प्रथम व द्वितीय की नहरों को 4 में से 1 समूहों में चलाये जाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण, एवं चक्रीय कार्यक्रम :(सभी मात्राएं क्यूसेक में)
समूह -अ

		क्यूसेक	अधिशायी अभियन्ता	मोबाईल नं.
(क)	हरीके हैड से इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक		लखपतराय	9116158601
1	अनूपगढ़ शाखा	2400	संदीप भाटी देवेन्द्रसिंह गिल	9414398264 9414332729
2	सीधी वितरिकायें बुर्जी 165 से बिरधवाल हैड तक तथा केसरदेसर वितरिका (ऑफ टेक पॉइन्ट आर.डी. 116 बायां इगामुन एवं डीओ आर.डी. 99.500 इगामुन)	81	विजय पुरोहित	9116158610
3	सीधे मोघे बुर्जी 165 से बिरधवाल हैड तक	80	विजय पुरोहित	9829010912
4	रावतसर ब्रांच (प्रेमपुरा माईनर के अतिरिक्त)	618	राजेन्द्र सिंह	9116158611
5	नोरंगदेसर वितरिका	460	राजेन्द्र सिंह	9116158611
	योग :-क	3639		
(ख)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	0	सत्य प्रकाश गर्ग	9116158301
	योग -ख	0		
(ग)	इ.गा.मु. नहर की 620 से 1254 तक		गोविंद सिंह राठौड़	9116158131
1	पन्नालाल बारुपाल जल्लोथान योजना	125	विक्रमसिंह भाटी	9116158118
	योग -ग	125		
(घ)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे		भानेश्वर स्वामी	9116158144
1	मंडाउ वितरिका	105	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
2	रावलाउ वितरिका	16	बालाराम चौधरी	9116158539
3	भुवाना वितरिका	15	बालाराम चौधरी	9116158539
4	धन्नाना वितरिका	73	बालाराम चौधरी	9116158539
5	लूनार वितरिका	44	बालाराम चौधरी	9116158539
6	गुंजनगढ़ वितरिका	18	बालाराम चौधरी	9116158539
7	करड़ा वितरिका	28	बालाराम चौधरी	9116158539
8	नवतला वितरिका	30	बालाराम चौधरी	9116158539
9	मीर का तार वितरिका	16	बालाराम चौधरी	9116158539
10	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 133 से बुर्जी 190 तक	53	देशराज नुनिया	9460275744
11	सागरमल गोपा शाखा के लोसेज़	30	मोहनदान चारण	9116158538
12	मिठडिया माईनर	24	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
13	स्वामिका माईनर	12	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
14	च्यु माईनर	22	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
	योग -घ	486		
	योग क+ख+ग+घ	4250		

फसल खरीफ 2018 के दौरान दिनांक 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दिनांक 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी परियोजना की स्टेज-प्रथम व द्वितीय की नहरों को 4 में से 1 समूहों में चलाये हेतु अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण, चक्रीय कार्यक्रम :

समूह -ब-

(सभी मात्राएं क्यूसेक में)

		क्यूसेक	अधिशायी अभियन्ता	मोबाईल नं.
(क)	हरीके हैड से इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक		लखपतराय	9116158601
1	नोर्थ घग्घर कैनाल	150	राजेन्द्र सिंह	9116158611
2	राठी खेडा माईनर	12	राजेन्द्र सिंह	9116158611
3	सीधे मोघे पंजाब सीमा से मसीतावाली हैड तक	100	राजेन्द्र सिंह	9116158611
4	सीधी वितरिकाये लखुवाली हैड से बुर्जी 165 तक (केसरदेसर वितरिका ऑफ टेक पॉइन्ट आर.डी. 116 (बांया) इगामुन एवं डीओ आरडी 99.500 इगामुन को छोडकर)	129	विजय पुरोहित	9829010912
5	सीधे मोघे लखुवाली हैड से बुर्जी 165 तक	20	विजय पुरोहित	9829010912
6	रावतसर शाखा (प्रेमपुरा माईनर)	12	राजेन्द्रसिंह	9116158611
7	सूरतगढ़ ब्रांच	1875	विजय पुरोहित	9116158610
8	जोरावरपुरा वितरिका	49	विजय पुरोहित	9116158610
9	खेतेवाली वितरिका	72	विजय पुरोहित	9116158610
10	सीधे मोघे मसीतावाली हैड से लखुवाली हैड तक	50	राजेन्द्रसिंह	9116158611
	योग :-क	2469		
(ख)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक		सत्य प्रकाश गर्ग	9116158301
	योग -ख	0		
(ग)	इ.गा.मु. नहर की 620 से 1254 तक		गोविंद सिंह	9116158131
1.	दातौर वितरिका प्रणाली आडुरी वितरिका को छोड कर	210	दिनेश सोलंकी	9116158121
2	बिरसलपुर शाखा	530	भोलाराम	911615898
3	कोलायत लिफ्ट	230	मनोज मांजू	9116158120
	योग -ग	970		
(घ)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे		भानेश्वर स्वामी	9116158144
1	मोहनगढ़ माईनर	14	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
2	मोहनगढ़ वितरिका	75	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
3	रोरुण्ड वितरिका	70	सुखमहेन्द्रसिंह	9116158549
4	आसुतार वितरिका	185	बालाराम चौधरी	9116158539
5	बाबारामदेवजी सब ब्रांच की सीधी माईनरें बुर्जी 0 से 302	182	बालाराम चौधरी	9116158539
6	तनोट वितरिका	204	मोहनदान चारण	9116158538
	योग -घ	730		
	योग क+ख+ग+घ	4169		

फसल खरीफ 2018 के दौरान दिनांक 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दिनांक 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज-प्रथम व द्वितीय की नहरों को 4 में से 1 समूहों में चलाये जाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण, एवं चक्रीय कार्यक्रम :

(सभी मात्राएं क्यूसेक में)

समूह -स

		क्यूसेक	अधिशायी अभियन्ता	मोबाईल नं.
(क)	हरीके हैड से इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक		लखपतराय	9116158601
1	कवरसेन लिफ्ट	350	श्रीनिवास रोहिल्ला	9116158123
2	साहवालिफ्ट कैनाल	290	अमीचंद	9116158126
	योग : (क)	640		
(ख)	इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक		सत्य प्रकाश	9116158301
1	इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 415 तक के सीधे मोघे एवं वितरिकाएं	295	विजय पुरोहित	9116158610
2	इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 415 से 507 तक के सीधे मोघे एवं वितरिकाएं	302	संजीव वर्मा	9414637052
3	रोजड़ी वितरिका	261	संजीव वर्मा	9414637052
4	पूगल ब्रांच	719	अनिल कैथल	9116158614
5	इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 507 से 620 तक के सीधे मोघे एवं वितरिकाएं	130	संजीव वर्मा	9414637052
	योग : (ख)	1707		
(ग)	इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 620 से 1254 तक		गोविंद सिंह	9116158131
1	सीधी नहरें बुर्जी 620 से 750	193	दिनेश सोलंकी	9116158121
2	छोटी नहरें एवं सीधे मोघे बुर्जी 750 से 860	190	दिनेश सोलंकी	9116158121
3	चारणवाला शाखा	850	गोविन्द सिंह	9116158131
4	छोटी नहरें एवं सीधे मोघे बुर्जी 860 से 961 तक	168	गोविन्द सिंह	9116158131
5	पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना	75	विक्रमसिंह भाटी	9116158118
	योग : (ग)	1476		
(घ)	इं.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे		भानेश्वर स्वामी	9116158144
1	सादा वितरिका प्रणाली भाग-द्वितीय	140	देशराज नुनिया	9460275744
2	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 47.650 से बुर्जी 133 तक	57	सुखमहेन्द्र सिंह	9116158549
3	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 0 से 47.650 तक की सीधी माईनरें	92	सुखमहेन्द्र सिंह	9116158549
4	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 190 से बुर्जी 314 तक की सीधी माईनरें	80	मोहनदान चारण	9116158538
	योग : (घ)	369		
	कुल योग : क+ख+ग+घ	4192		

फसल खरीफ 2018 के दौरान दिनांक 10.08.18 साय: 6.00 बजे से दिनांक 13.09.2018 साय: 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज-प्रथम व द्वितीय की नहरों को 4 में से 1 समूहों में चलाये जाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण, एवं चक्रीय कार्यक्रम :

(सभी मात्राएं क्यूसेक में)

समूह -द-


		क्यूसेक	अधिशाली अभियन्ता	मोबाईल नं.
(क)	हरीके हैड से इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक		लखपतराय	9116158601
1	कवरसेन लिफ्ट	350	श्रीनिवास रोहिल्ला	9116158123
2	साहवालिफ्ट कैनाल	250	अमीचंद	9116158126
	योग :-क	600		
(ख)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	0	सत्य प्रकाश गर्ग	9116158301
	योग -ख	0		
(ग)	इ.गा.मु. नहर की 620 से 1254 तक		गोविंद सिंह	9116158131
1.	पन्नानान बारूपाल जलोत्थान योजना	175	विक्रमसिंह भाटी	9115158120
2.	कोलायत लिफ्ट	310	मनोज मांझू	9116158118
3.	दांतोर वितरिका(अडूरी वितरिका)	70	दिनेश सोलंकी	6116158121
4.	भूरासर वितरिका	290	भोलाराम पुनिया	9116158198
5.	चारणवाला शाखा (मेहराव खों एव शेखु खों)	200	गोविन्द सिंह	9116158131
6	छोटे नहरें एवं सीधे मोघे बुर्जी 961 से 1254 तक	190	हनुमानाराम सुरेश खीची	9116158145 9414387419
7	पोकरण लिफ्ट	50	सुरेश खीची	941438419
8	नाचना मुख्य नहर	175	हनुमानाराम	9116158145
9	फलोदी लिफ्ट	188	हनुमानाराम	9116158145
10	वीर तेजाजी जलोत्थान योजना	80	भोलाराम	911615898
	योग -ग	1728		
(घ)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे		भानेश्वर स्वामी	9116158144
1	शहीद बीरबल शाखा भाग- द्वितीय	550	रघुवीरसिंह सुमन	9116158536
2	घंटीयाली वितरिका	272	सुखमहेन्द्र सिंह	9116158549
3	शहीद बीरबल शाखा भाग- प्रथम	283	रघुवीरसिंह सुमन	9116158536
4	सादा वितरिका प्रणाली भाग-प्रथम	350	देशराज नुनिया	9460275744
5	सुल्ताना वितरिका	310	देशराज नुनिया	9460275744
	योग -घ	1765		
	योग क+ख+ग+घ	4093		

फसल खरीफ 2018 के दौरान दिनांक 10.08.18 सायं 6.00 बजे से 13.09.18 सायं 6.00 बजे तक इंदिरा गांधी मुख्य नहर की स्टेज प्रथम एवं द्वितीय की नहरों को चार समूहों में बांट कर एक समूह में चलाने हेतु समूहों की वरियताएं एवं चक्रीय कार्यक्रम

समय : इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 620 पर

क्र.सं.	अवधि (इगामुन की आरडी 620)	ग्रुपों का वरियता समूह			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
1	10.08.18 (सायं 6 बजे) शुक्रवार से 19.08.18 (प्रातः 6 बजे) रविवार तक	अ	ब	स	द
2	19.08.18 (प्रातः 6 बजे) रविवार से 27.08.18 (सायं 6 बजे) सोमवार तक	ब	स	द	अ
3	27.08.18 (सायं 6 बजे) सोमवार से 05.09.18 (प्रातः 6 बजे) बुधवार तक	स	द	अ	ब
4	05.09.18 (प्रातः 6 बजे) बुधवार से 13.09.18 (सायं 6 बजे) गुरुवार तक	द	अ	ब	स

- क, ख, ग एवं घ ग्रुपों की छोटी नहरों का रोटेशन साढ़े सात दिन में पूरा हो जाने के कारण उन्हें साढ़े सात दिन चलाने के बाद बन्द कर दिया जायेगा। शेष 1 दिन मुख्य नहर व शाखाओं के क्रॉस रेगुलेटर पर वांछित जल स्तर बनाये रखने हेतु होगा।
- उपरोक्त दर्शाया गया समय इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 का है। अन्य हैडो पर पानी पहुंचाने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए रेगुलेशन किया जायेगा।
- चार समूहों में से एक समय में एक समूह चलाते समय यदि प्रथम वरियता की नहरों को आवश्यकता से अधिक जल प्राप्त होता है, तो द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वरियता की समूहों की वरियता के अनुरूप जो भी नहरें चलनी चाहिए, उनके लिए ही पानी छोड़ा जावेगा। यदि मांग पत्र (इन्डेंट) को संशोधित करवाने की आवश्यकता हो तो अधिशाषी अभियन्ता, फीडर जल संसाधन खण्ड, हनुमानगढ़ अपने स्तर पर संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, से सम्पर्क कर उनके द्वारा प्रेषित मांग पत्र को संशोधित करवाकर ही पानी छोड़े। मांग पत्र में संशोधन दूरभाष पर वार्ता कर लिया जावे।
- अगर सिंचाई हेतु प्रथम वरियता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पोंडस को डिप्लिट करके पूरा किया जायेगा। अगर फिर भी प्रथम वरियता की नहरों की आवश्यकता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पानी की कमी का बंटवारा प्रथम एवम् द्वितीय चरण की नहरों में अनुपातिक रूप से किया जायेगा।
- चार समूहों में से एक समय में एक समूह चलाते समय जिन नहरों को प्रथम वरियता में पानी देने में व्यवधान उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में रेगुलेशन प्रोग्राम का अनुसरण करते हुए यदि प्रथम वरियता समूह की नहरों को चलाने के पश्चात यदि पानी शेष रहता है तो पूर्व में प्रथम वरियता में प्रभावित नहरों की वरियता द्वितीय एवं तृतीय वरियता वाली नहरों से भी ऊपर होगी, किन्तु ऐसा करते समय संबंधित मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि रेगुलेशन प्रोग्राम में निर्धारित उनके अधिकृत हिस्से से अधिक पानी का उपयोग नहीं करेंगे।


अतिरिक्त आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इगानप,
बीकानेर।